क्रम संख्या–114 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 364/XXXVI(3)/2022/61(1)/2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 19, वर्ष– 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2022)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "यूपीईएस" शब्द रख दिये जायेंगे।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में नये विषयों के सम्मिलित होने, विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अधिक लोकप्रिय होने एवं विश्वविद्यालय के संक्षिप्त नाम से ही राज्य के भीतर एवं देश भर के विभिन्न मंचों पर विश्वविद्यालय द्वारा अपना परिचय देने के दृष्टिगत पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

No. 364/XXXVI(3)/2022/61(1)/2022
Dated Dehradun, December 23, 2022

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The University of Petroleum and Energy Studies (Amendment) Act, 2022 (Act No. 19 of 2022)'.**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 21 December, 2022.

The University of Petroleum and Energy Studies (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 19 Year, 2022)

An

Act

further to amend in the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003.

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement	1.	(1)	This Act may be called the University of Petroleum and Energy Studies (Amendment) Act, 2022.
		(2)	It shall come into force at once.

Amendment in the Act	2.	In the University of Petroleum and Energy Studies Act, 2003, (hereinafter referred to as principal Act) for the words "University of Petroleum and Energy Studies" wherever they occurs the words, "UPES" shall be substituted.
Saving	3.	Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and Reasons

In view of, the inclusion of new subjects in the scope of the Petroleum and Energy Studies University, the abbreviation of the University becoming more popular and the University's abbreviation itself being introduced by the University on various forums within the state and across the country; it is expedient to amend the name of the Petroleum and Energy Studies University.

2- The proposed Bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

पी०एस०यू० (आर०ई०) 23 विधायी/766–2022–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।